





## 70 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.08.2006

आज दिनांक 02.08.2006 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल                                       | अध्यक्ष   |
| 2. श्री पी०सी०शर्मा, प्रमुख सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन                          | सदस्य     |
| 3. श्री सुब्रत विश्वास, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण               | उपाध्यक्ष |
| 4. श्री एन०एन०थपलियाल, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन                          | सदस्य     |
| 5. श्री पुनीत कंसल, जिलाधिकारी, देहरादून  | सदस्य     |
| 6. श्री इन्दुधर बौड़ाई, मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून                             | सदस्य     |
| 7. श्री बृज बी०रतन, मुख्य सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल | सदस्य     |
| 8. श्री आर०एन०वर्मा, अधीक्षण अभियंता, पेयजल निगम, देहरादून                      | सदस्य     |

रा रायपुर के खसरा  
सिंग की स्वीकृति एवं  
ब्रसरा नम्बर 233 एवं  
आयुक्त महोदय द्वारा  
उपयोग परिवर्तन के  
ने सन्दर्भित किये जाने

  
(सुभाष कुमार)  
आयुक्त/अध्यक्ष,  
म०दे०वि०प्रा०  
देहरादून।

 Subash Kumar



उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.06 की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः सर्वसम्मति से अनुपालन आख्या अनुमोदित की गयी।

**विषय क्रमांक 1 :- प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति।**

बोर्ड द्वारा वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए भू-अधिग्रहण हेतु कालातीत हो चुके प्रकरणों की धनराशि एस0एल0ए0ओ0 से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।

**विषय क्रमांक 2 :- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में विद्यमान प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों/विनियमों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।**

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में देहरादून विकास क्षेत्र में प्रचलित भवन उपविधि 2001 में सम्यक् विचारोपरान्त स्थानीय परिवेश में एकरूपता लाये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण में विद्यमान उपविधियों/विनियमों में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए शासन स्तर पर एक समिति गठित की गयी जिसमें उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्तर से संशोधित बायलॉज प्रस्तावित किये गये। संशोधित बायलॉज के बिन्दु संख्या 3.3.6 के क्रमांक 2 पर अधिकतम आवासीय इकाई 125 प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 100 प्रति हेक्टेयर करने के साथ साथ प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

**विषय क्रमांक 3 :- ट्रान्सपोर्ट नगर में इन्टीग्रेटेड कार्मिशियल काम्पलेक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

ट्रान्सपोर्टनगर के बाहर एक हेक्टेयर भूमि पर इन्टीग्रेटेड कार्मिशियल काम्पलेक्स बनाये जाने के सम्बन्ध में यूडेक से Tecno legal services लिये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।



विषय क्रमांक 4 :- देहरादून शहर की व्यस्ततम राजपुर रोड एवं गाँधी रोड का Re-Development Plan तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून के अन्तर्गत राजपुर रोड, दर्शन लाल चौक, फालतू लाईन, डिस्पैन्सरी रोड आदि पर स्थित घनी आबादी क्षेत्र में लाल डोरा को चिन्हित करते हुए रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। ताकि इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तक नजूल फ्री-होल्ड की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया एवं रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ऐसी संस्था का चयन किया जाये जिसको इस क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व अनुभव प्राप्त हो।

नजूल-वॉल शालीन  
का स्वीकृति  
प्राप्त होना

विषय क्रमांक 5 :- IL&FS द्वारा ग्रेटरदून योजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

IL&FS द्वारा प्रस्तुत अनुबन्धो एवं सुझावों की जाँच करने हेतु प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें वित्त विभाग का प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं विधि विभाग का प्रतिनिधि सदस्य होंगे। IL&FS द्वारा अनुबन्ध के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष दिनांक 18.8.2006 को किया जायेगा जिसपर समिति शासन को अपने विचार प्रस्तुत करेगी।

विषय क्रमांक 6 :- सहारनपुर रोड पर ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत मुख्य सहारनपुर रोड पर व्यवसायिक/ कार्यालय भवन का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

379  
Subs



विषय क्रमांक 7:- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये माडल बायलॉज हेतु 16 प्रपत्रों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी कि इन 16 प्रपत्रों को, हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराते हुए, तत्काल लागू करने के निर्देश दिये गये।

विषय क्रमांक 8 :- भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रारूप पर बिन्दु संख्या-4 पर copy of the project के स्थान पर concept paper का उल्लेख किया जाये इस निर्देश के साथ प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 9 :- ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों की धनराशि रिफण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना (फेज-II) के अन्तर्गत विधिक राय प्राप्त करते हुए पंजीकरणों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर आदत बाजार के साथ सड़क विस्तार हेतु प्रभावित होने वाली दुकानों के दुकानदारों को विस्थापित किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया।

विषय क्रमांक 10 :- घन्टाघर स्थित दूनमाल योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा गठित समिति का निर्णय।

प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लिखित प्रस्ताव न0-02 (Option -2) जिसके अनुसार आर0एफ0सी0गोडाउन एवं निरीक्षण भवन की भूमि को लेकर राजपुर रोड से दर्शनलाल चौक की तरफ 7.5 मीटर का स्लिपवे बनाते हुए दो बेसमेन्ट में पार्किंग, स्टेट एम्पोरियम, अरबन हाट एवं फूड कोर्ट आदि बनाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने की बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय

विषय क



विषय क्रमांक 11 :- खसरा नम्बर 119 मि0, ग्राम माजरा निकट हिल्टन स्कूल, सहारनपुर रोड पर आवासीय भवन में नर्सिंग होम का उपयोग करने हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि आवेदनकर्ता बायलॉज के अनुसार समस्त शर्तें पूर्ण करता है तो इनका मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये। - *वन-सायिक दर पर शान्त शुल्क का 50% की*

विषय क्रमांक 12 :- भूमि खसरा नं0-501 मौजा भारूवाला ग्रान्ट देहरादून में 87.79 वर्गमीटर पर निर्मित फुटकर दुकानों की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि आवेदनकर्ता बायलॉज के अनुसार समस्त शर्तें पूर्ण करता है और व्यवसायिक दर पर शमन शुल्क जमा किया गया है तो इनका मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 13 :- मौ0 सैफुल्ला एवं मौ0 आसिफ द्वारा स्थल खसरा नं0 2क, 2ख, 2ग एवं 4क ग्राम मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में गेस्ट हाउस एवं रेस्टोरेंट के निर्माण हेतु मानचित्र संख्या 589/2006-2007 के सम्बन्ध में

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 14 :- कृषि क्षेत्र में सन्त कबीर एजुकेशन सोसाइटी मियावाला के मानचित्र संख्या 825/2005-2006 के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव मानक पूर्ण न होने के कारण सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 15 :- आवासीय आर-2 भू-उपयोग के अन्तर्गत श्री शम्भू आश्रम टस्ट (हरिद्वार) द्वारा खसरा नम्बर 363, 364, 366 निरंजनपुर (6 ए सहारनपुर मार्ग) पर धर्मशाला के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

*[Signature]*

*[Signature]*

माडल में लागू

गयी कि प्रकृत करारते

पर बिन्दु concept paper सर्वसम्मति से

आवेदकों की

अधिक राय प्राप्त किया गया। इस आवित होने वाली निर्णय बोर्ड द्वारा

न हेतु बोर्ड द्वारा

option -2) जिसके की भूमि को लेकर र का स्लिपवे बनाते हाट एवं फूड कोर्ट जाने की बोर्ड द्वारा

*ml*